

1

A 6  
T

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)  
पीठासीन अधिकारी-

श्री राजेश जोशी  
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:  
36/अपील/2019

तारीख दायरा  
05.03.2019

तारीख निर्णय  
30.08.2019

1. किशोर आ. प्रताप जाति माली निवासी ग्राम रामनिवास तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान)
2. दुर्गालाल आ. किशोर, जाति माली निवासी ग्राम रामनिवास तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान)

- अपीलांटस

- बनाम -

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)

- रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 30.10.2018  
नायब तहसीलदार, दबलाना  
अन्तर्गत धारा 91 रा0 भू राजस्व अधिनियम  
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपरिस्थित :-

अपीलांटस की ओर से - श्री शम्भू लाल शर्मा, अभिभाषक।  
रेस्पोंडेन्ट की ओर से - परोकार सरकार

-: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2018 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 103 रकबा 15 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम रामनिवास तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 54/- रुपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्टस व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्टस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट की ना तो उच्च अधिकारियों से जांच करवाई एवं ना ही नायब तहसीलदार द्वारा भौतिक सत्यापन किया। अपीलान्टस का मौके पर कब्जा नहीं होने के बावजूद भी अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्टस का अतिक्रमित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है एवं ना ही पूर्व में कोई कब्जा था। अपीलान्टस को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्टस पश्चातवर्ती भी नहीं है। अपीलान्टस के विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

परोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्टस ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्टस को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्टस को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्टस पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्टस ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्टस ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्टस द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्टस ने निवेदन किया है कि उसने विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया गया है। अपीलान्टस ने निवेदन किया है कि अपीलान्टस के विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्टस को विधिवत् नोटिस जारी किया गया है लेकिन

अपीलान्टस बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्टस को विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्टस ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्टस गय शपथ पत्र सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तु स्थिति का मौका देखकर पालना से पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्टस ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया गया है तो सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावे। यदि अपीलान्टस उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी, B.A.S.)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
बून्दी (राज0)